



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272708
CG-DL-E-19052026-272708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2399]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2399]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2491(अ).— केंद्रीय सरकार, उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 111 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित सरकार के राजपत्रित अधिकारी को, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विनिर्दिष्ट अनुसार डॉक कार्य की दशा में, उक्त संहिता के प्रयोजन के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है:

सारणी

क्र.सं.	कार्यालय	अधिकारिता (क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)
1.	निदेशक (सुरक्षा), डॉक सुरक्षा प्रभाग, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई।	सभी प्रमुख पत्तन।

[फा. सं. एस-65025/16/2026-आईएसएच-II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2491(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 111 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Central Government hereby appoints the gazetted officer of the Government mentioned in column (2) of the Table below to be the appellate authority for the purpose of the said Code, in case of dock work, within the local limits of the jurisdiction specified in column (3) of the Table below:-

TABLE

Sl. No.	Office	Jurisdiction (Area)
(1)	(2)	(3)
1.	Director (Safety), Dock Safety Division, Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes, Mumbai.	All major ports.

[F. No. S-65025/16/2026-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor